



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | WEST CHAMPARAN  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



पत्रांक - SSA/RTE/840

सेवा में

- दिनांक - 27/04/22

अध्यापक / अवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय ग्राम्याधिक शिक्षा बोर्ड, ०

शिक्षा केंद्र, २ कम्प्युनिटी सेटर ०

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोगार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीक्षा का प्रमाण पत्र।

महाराज,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 23-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय ST MICHAEL'S ACADEMY, MEHANDIABARI CHHAWANI, BETTIAH DIH, 845438 . कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 23-09-2021 से 23-9-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीक्षा प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीक्षा किन्हीं बच्चों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीक्षा किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्न-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अताभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि पदि विद्यालय में पूर्व प्रारभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कठिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का केपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माल-पिता या अधिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बावजूद धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर दूकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक स्तर से प्रताङ्गित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकासगति / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक नियीं स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण नियमिति में संलग्न नहीं होंगे।


8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपाठ्यों का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम नियीं के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

- (I) विद्यालय परिसर के संख्या :- 8700
- (II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 8700
- (III) छोटे के गैरिडन के क्षेत्र :- Playground, children's park, basket ball court, volley ball court, kabaddi court, kho-kho court, hand ball court, football ground, cricket ground, phy. Lab, Bio. Lab, Maths Lab, Chem. Lab, Computer Lab, Language Lab, Smart Class, Activity Room, Cycle stand ground, Auditorium etc.
- (IV) गर्भ कवरी की कुल संख्या :- 72
- (V) प्रधानाध्यापक-नाह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 5
- (VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 35 , Girls 12
- (VII) पेयजल की सुविधा :- 23
- (VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0
- (IX) वाधारहित पत्रिका, :-
- (X) विज्ञान अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय पुस्तकालय :- GLOB, MAP, PHYSICS APPARATUS, CHEM. APPARATUS, AV ROOM, BIOLOGY, SPORTS & GAMES ARTICLES, EDUCATIONAL MODELS ETC., FOOTBALL, CRICKET, HAND BALL, VOLLEYBALL, BASKET BALL, SKIPPING WIRE, FLYING DISK, JABLINE THROW, DISSCUS, SHORT PUT, HURDLES ETC., ( Y , 999 , NewsPaper Magazine:- 17 )

11. कोई भी अपस्थीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ-अपवा भैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्दिष्ट सोसाईटी के द्वारा अपवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पक्षिक दृस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा ।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अपवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।
15. सेला का अकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्ट्ड एकाउन्टेट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आसीक में उपर्युक्त सेला विवरणी हेतु या जाएगी। प्रत्येक सेला विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष लिता शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।
16. आपके विद्यालय को आविति प्रस्तीकृति कोड संख्या [ 20310282021923183604, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्राचाराचार करने में इस कोड को अकित एवं उद्धृत किया जाए ।
17. निदेशक, प्राधिका विक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाप्त "माँग" लिए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्तीकृति की शर्तों के लागतार रूप से पुरा करने की सुनिश्चितता हेतु अपवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समष्टि समय पर निर्मित अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
18. यदि सोसाईटी के निवास के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते



जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, WEST CHAMPAHAN  
सह-संविचार प्रस्तीकृत समिति  
शिक्षा विभाग, विहार सरकार